भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1027
09 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

पर्यावरण के अनुकूल शहरों का विकास

1027 # श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकियाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 21वीं सदी में प्रगति करने वाले शहरों के लिए पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास एक अनिवार्यता बन गई है;
(ख) क्या हरित भवन निर्माण, टिकाऊ परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन और जल संरक्षण जैसी स्थायी व्यवस्थाओं को अपनाकर शहरों में पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है; और
(ग) सरकार द्वारा पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास के संबंध में क्या नीतिगत उपाय किए गए हैं और क्या इन नीतिगत उपायों का शहरों के विकास में अपेक्षित रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी विकास और प्रासिंगक उप-नियमों सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

सरकार मानती है कि शहरों में पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सकता है और हरित भवन निर्माण, स्थायी और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों, वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण, अपशिष्ट जल शोधन और पुन: उपयोग, ऊर्जा दक्षता और शहरी हरित आवरण में वृद्धि जैसी स्थायी पद्धतियों को अपनाकर निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने आदर्श भवन उप-नियम (एमबीबीएल), 2016 (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/MBBL.pdf) प्रकाशित किए हैं, जिसमें अध्याय -10 हरित भवन निर्माण और स्थिरता के प्रावधानों से संबंधित है। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 प्रकाशित किए हैं:

https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf, जिसमें अध्याय -6 स्थिरता दिशानिर्देशों से संबंधित है।

इसके अलावा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)/अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू), मेट्रो रेल परियोजनाएं, स्मार्ट सिटी मिशन और पीएम ई-बस सेवा जैसे भारत सरकार के विभिन्न मिशन मेट्रो रेल और सिटी बस सेवाओं जैसी स्थायी शहरी परिवहन प्रणालियों के विस्तार, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और गैर-मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवेज और अपशिष्ट जल शोधन को मजबूत करने, जल पुन: उपयोग और जल संरक्षण, और जलवायु-रोधी अवसंरचना, शहरी हरित स्थानों, स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन और स्थायी शहरी सेवाओं जैसे उपायों के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल और स्थायी शहरी विकास को प्रोत्साहित करते हैं।

अमृत के तहत, गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन अमृत मिशन के प्रमुख कार्यक्षेत्रों में से एक है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के लिए पैदल यात्री, गैर-मोटर चालित और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं, साइकिल ट्रैक, पार्किंग स्थान आदि का प्रावधान किया गया है, अब तक, 1,020.7 करोड़ रुपये की 348 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी है, जिनमें से 983.16 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूरे किए जा चुके हैं। 430 किमी लंबाई के पैदल यात्री पथ/वॉक-वे और 43 किमी लंबाई का समर्पित साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं।

इसके अलावा, 34,467 करोड़ रुपये की कुल 889 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से, 4,843 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता का निर्माण किया गया है, और अशोधित प्रयुक्त जल के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सक्षम बनाने के लिए पुनर्चक्रण/पुन:उपयोग हेतु 1,437 एमएलडी क्षमता विकसित की गई है। अमृत 2.0 के तहत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा अब तक 66117.69 करोड़ रु. की 583 सीवरेज/सेप्टेज

परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित परियोजनाओं में 6,649 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता (नई/संवर्धन) शामिल है, जिसमें से 1,931 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता पुनर्चक्रण/पुन उपयोग के लिए है।

हरित स्थानों और पार्कों का विकास अमृत मिशन का एक और महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है, अमृत के तहत पूरी की गई 2,497 हरित स्थानों और पार्क परियोजनाओं के माध्यम से, लगभग 5,277 एकड़ पारगम्य हरित स्थान विकसित किया गया है। इसके अलावा, अमृत के तहत, 71.29 करोड़ रुपये की 09 जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाएं शुरू की गईं। अमृत 2.0 के तहत, जलाशयों और कुओं का पुनरूद्धार मुख्य घटकों में से एक है। अब तक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 6,223.48 करोड़ रुपये की 3,016 जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाएं और 1,117.48 करोड़ रुपये की 1,665 हरित स्थान और पार्क परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएसएएससीआई) 2022-26 ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी), स्पंज सिटी, सिटी ग्रीन्स और शहरी वन, मौजूदा कुओं के पुनरूद्धार, शहरी जलाशयों के संरक्षण और पुनरूद्धार, सतत विकास को प्रोत्साहित करने वाले भवन उप-नियमों के निर्माण में हरित भवन निर्माण पहल को शामिल करने आदि जैसे सुधारों को प्रोत्साहित करती है। एसएसएएससीआई 2022-25 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 11,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन जारी किया गया है।

*****